

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा

अनुवान भंवर लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 385/2025

निर्णय दिनांक19/09/25.....

भंवर लाल पुत्र फुला राम जाति जाट निवासी पूनरास तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 69 के ख.नं. 199/102 तादादी 0.0379 हैक्ट., ख.नं. 269/164 तादादी 3.9958 हैक्ट., ख.नं. 406/102 तादादी 1.4162 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम थैलाना, खाता सं. 56 के ख.नं. 923/236 तादादी 7.0180 हैक्ट., ख.नं. 925/236 तादादी 0.5817 हैक्ट., ख.नं. 926/237 तादादी 0.7840 हैक्ट., ख.नं. 928/237 तादादी 0.2023 हैक्ट., 929/253 तादादी 4.8683 हैक्ट., ख.नं. 931/253 तादादी 1.9473 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पिथाना व खाता सं. 217 के ख.नं. 516 तादादी 18.3858 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम कोहिणा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पुत्र फुलाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम भंवर लाल पुत्र फुला राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भंवर लाल पुत्र फुला राम किये जाने की अभिशंका की है।

अतः खाता संख्या 69 के ख.नं. 199/102 तादादी 0.0379 हैक्ट., ख.नं. 269/164 तादादी 3.9958 हैक्ट., ख.नं. 406/102 तादादी 1.4162 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम थैलाना, खाता सं. 56 के ख.नं. 923/236 तादादी 7.0180 हैक्ट., ख.नं. 925/236 तादादी 0.5817 हैक्ट., ख.नं. 926/237 तादादी 0.7840 हैक्ट., ख.नं. 928/237 तादादी 0.2023 हैक्ट., 929/253 तादादी 4.8683 हैक्ट., ख.नं. 931/253 तादादी 1.9473 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पिथाना व खाता सं. 217 के ख.नं. 516 तादादी 18.3858 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम कोहिणा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पुत्र फुलाराम Delete कर इसके स्थान पर भंवर लाल पुत्र फुला राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/09/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Jayesh
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)